प्रेस नोट
दिनांक 05.09.2024

लूट/चोरी की घटना का सफल अनावरण, 02 अदद बकरे, 1800 रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 02 अदद अपाचे मोटरसाईकिल बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–663/24 धारा 309(6),317(2),318(4) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. रशीद चिकवा पुत्र अली अहमद नि0 मोहल्ला मारवाड़ी इंटर कालेज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा, 02. राजा उर्फ शहजादे पुत्र सलीम नि0 ग्राम गायत्रीपुरम थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गोण्डा–धानेपुर मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद बकरे, 1800 रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 31.08.2024 को थाना को0 नगर क्षेत्र के अन्तर्गत धनौली नहर पुलिया से 02 अपाचे मोटरसाईकिलों से आये 04 अज्ञात लोगो द्वारा वादी इरफान पुत्र महबूब ग्राम तुर्काडीहा नाऊ पुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के लड़के आसू से मारपीट कर 02 अदद बकरे लेकर फरार हो गए थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 05.09.2024 को थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 02 आरोपी अभियुक्तों–01. रशीद चिकवा, 02. राजा उर्फ शहजादे को गोण्डा–धानेपुर मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद बकरे व घटना में प्रयुक्त 02 अदद अपाचे मोटरसाईकिल व 1800 रू0 नगद बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो जनपद गोण्डा में आर्थिक लाभ कमाने हेतु मोटरसाईकिलों में कूटरचित नम्बर प्लेट लगाकर चोरी/लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते है। आज दिनांक 05.09. 2024 को भी उक्त अभियुक्तगण थाना धानेपुर क्षेत्र से बकरे चोरी करके बेचने हेतु जा रहे थे। जिनकों थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा गोण्डा–धानेपुर मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. रशीद चिकवा पुत्र अली अहमद नि0 मोहल्ला मारवाड़ी इंटर कालेज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. राजा उर्फ शहजादे पुत्र सलीम नि0 ग्राम गायत्रीपुरम थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–663/24 धारा 309(6),317(2),318(4),338,339 बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–247/24, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 02 अदद बकरे, मु0अ0सं0–247/24 से सम्बन्धित
02. रू0 1800/– नगद, मु0अ0सं0–663/24 से सम्बन्धित
03. घटना में प्रयुक्त 02 अदद अपाचे मोटरसाईकिल।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार।
02. का0 बृजेश पटेल।
03. का0 राहुल कुमार।
04. का0 रामेन्द्र कुमार।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 05.09.2024, धानेपुर
जनपद गोण्डा।

थाना धानेपुर क्षेत्रान्तर्गत गोदाम में घुसकर चोरी करने के 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे चोरी का 02 अदद सोलर पैनल, 01 अदद बैट्री मय इनवर्टर बरामदः-

कार्यवाहीः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0- 246/2024, धारा 331(4), 305, 317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों 01. सूरज, 02. कुलदीप कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 02 अदद सोलर पैनल लुमिनस कम्पनी, 01 अदद इनवर्टर माइक्रोटेक व 01 अदद बैट्री इनवर्टर बरामद कर लिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
वादी श्री ओमप्रकाश पुत्र रामानन्द ग्राम गंगापासी पुरवा मौजा त्रिभुवन नगर ग्रिन्ट थाना धानेपुर जनप गोण्डा द्वारा थाना को0देहात पर सूचना दिये दिनांक 01.09.2024 की रात में अज्ञात चोरो द्वारा गोदाम का ताला काटकर सोलर पैनल, बैट्री, इनवर्टर चावल की बोरी आदि उठा ले गये । तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर में मु0अ0स0- 246/2024, धारा 331(4), 305, 317(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 05.09.2024 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा 02 आरोपी अभियुक्तों 01. सूरज, 02. कुलदीप कुमार वर्मा को गुलरिहा तिराहे से उत्तर बल्दुकपुरवा से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 02 अदद सोलर पैनल लुमिनस कम्पनी, 01 अदद इनवर्टर माइक्रोटेक व 01 अदद बैट्री इनवर्टर बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
01. सूरज पुत्र संतोष कुमार निवासी ग्राम रूधौली बुजुर्ग थाना रेहरा बाजार, जनपद बलरामपुर।
02. कुलदीप कुमार वर्मा पुत्र दधिराम वर्मा निवासी ग्राम मुरावन गाँव मौजा राजापुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0स0- 246/2024, धारा 331(4), 305, 317(2) बी0एन0एस0 थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-
01. 02 अदद सोलर पैनल लुमिनस कम्पनी।
02. 01 अदद इनवर्टर माइक्रोटेक
03. 01 अदद बैट्री इनवर्टर

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 रूदल प्रसाद दूबे
02. हे0का0 कुशहर यादव
03. हे0का0 बागीश दूबे
04. हे0का0 राम मिलन चौहान

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट

दिनांक 05.09.2024, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 07 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 10,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी रामसरन पुत्र आज्ञाराम निवासी ग्राम गोडियनपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा द्वारा दिनाकं 02.04.20218 को थाना को0कर्नलगंज को सूचना दिया कि विपक्षी श्रीराम ने पुरानी रंजीश को लेकर उनकी पुत्री को मारने पीटने लगे वादी द्वारा मना करने पर बैट से मार पीटा है। जिसके तहरीर पर एन0सी0आर0 पंजीकृत हुआ था। जिसकी दवा इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 128/2018, धारा 323, 504, 304, 201 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 अशोक कुमार सरोज द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 09.07.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री रामदयाल द्वारा थाना कर्नलगंज पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री घनश्याम पाण्डेय, कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 चन्दा व थाना को0कर्नलगंज के पैरोकार हे0का0 दीनबन्धु दुबे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 05.09.2024 को दोषी अभियुक्त – श्रीराम गोडिया पुत्र स्व0 रामरूप निवासी कुतुबपुर गोडियनका पुरवा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्त का नाम पता-

01. श्रीराम गोडिया पुत्र स्व0 रामरूप निवासी कुतुबपुर गोडियनका पुरवा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 028/2018, धारा 323, 504, 304, 201 भादवि थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।